DrGenius Academy

Learning with DrGenius Academy

SCHOOL LECTURER 1st GRADE

INSTRUCTION FOR CANDIDATES

HARD WORK

BRINGS SUCCESS

www.drgenius.academy Contact Us :- +91 9636280355

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. प्रत्येक प्रश्न में 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में चिह्नित पाँच विकल्प हैं। आपको उत्तर पत्रक पर सही उत्तर को इंगित करने वाले केवल एक गोले (बुलबुले) को नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके काला करना है।

2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

3. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएँगे। गलत उत्तर का अर्थ है किसी भी प्रश्न के लिए गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर।

4. प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है।

5. यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, तो आपको गोले '5' को काला करना होगा। यदि पाँचों वृत्तों में से कोई भी काला नहीं किया जाता है, तो प्रश्न के अंकों का एक तिहाई (1/3) भाग काटा जाएगा।

6. प्रश्नपत्र हल करने के बाद, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गोले (बुलबुले) को काला किया है। इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

7. जिस अभ्यर्थी ने 10% से अधिक प्रश्नों में पांचों गोले में से किसी को भी काला नहीं किया हो, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

8. अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित विस्तृत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

9. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओएमआर शीट (उत्तर पत्रक) में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा देना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो प्रश्न पत्र/ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

10. यदि अभ्यर्थी आयोग द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करता है/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करता है तथा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करता है, तो आयोग/केन्द्राधीक्षक अभ्यर्थी के विरुद्ध अपनी इच्छानुसार समस्त कार्यवाही कर सकेगा तथा आयोग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

11. यदि प्रश्न में मुद्रण अथवा तथ्यात्मक प्रकृति की किसी प्रकार की अस्पष्टता/त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में से अंग्रेजी संस्करण को मानक माना जाएगा।

12. परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना पूर्णतः वर्जित है। यदि अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

चेतावनी: यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पाया जाता है या उसके पास कोई अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। उसके खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया जाएगा और उस पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022, अन्य लागू कानून और आयोग के नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। आयोग उसे भविष्य की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित भी कर सकता है।

DrGenius Academy